| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल–पीठ**
**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य**

**उपस्थितः–**

(1) श्री एस0के0 शर्मा/श्री हिमांशु सोगानी व श्री आर0पी0 शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी।
(3) श्री दिनेश कुमार सैन, श्री पुष्कर नारायण अभिभाषक अप्रार्थी।

**निर्णय** **दिनांकः** **16.09.2022**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 25–03–1976 अपील सं0 288/76 बउनवानी बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30–07–1969 को प्राधिकृत अधिकारी ने पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत 90 एकड़ से अधिक भूमि अवाप्त करने के मामले में आदेश दिया कि भूमि धारक की भूमि 90 स्टे0 एकड़ छोड़ के शेष भूमि अधिग्रहित की जावें। इस आदेश के विरूद्ध भूमि धारक ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील पेश की जिमसें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 25–9–1972 को आदेश दिया कि घोषणाकर्ता की सुनकर एवं सीलिंग नियम आदि के अनुसार आप्शन का मौका देकर निर्णय किया जावें, परन्तु इस बीच पुनः प्राधिकृत अधिकारी ने 30 स्टे0 एकड़ के कानून के अन्तर्गत दिनांक 7–4–1971 की घोषणाकर्ता की सुनकर नियमानुसार 30 स्टे0 एकड़ जमीन छोड़कर शेष भूमि के अधिग्रहण का आदेश दिया जिसका पालना तहसीलदार द्वारा की जाकर भूमि अधिग्रहण कर सरकार के हक में नामान्तरकरण भी दर्ज कर दिया।

इस आदेश के विरूद्ध घोषणाकर्ता ने कोई अपील पेश नहीं की फिर भी विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेशानुसार घोषणाकर्ता को पुनः सुनकर प्राधिकृत अधिकारी अदालत सब डिवीजन ऑफिसर, गंगापुरसिटी ने दिनांक 14–3–1975 को नियम 21 राजस्थान टिनेन्सी (फिक्सेशन ऑफ

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

सीलिंग आन लैण्ड) (गवर्नमेन्ट) नियम 1963 के तहत निर्णय पारित कर निम्न प्रकार भूमि अधिग्रहण का आदेश दिया गया–

**ग्राम गुढ़ाचन्द्रजी :–** खसरा नं0 122 रकबा 224 बीघा 18 बिस्वा, 292 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 370/1 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 370/2 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, 537 रकबा 46 बीघा, 494 रकबा 92 बीघा 12 बिस्वा

**ग्राम पाल :–** खसरा नं0 29 रकबा 14 बिस्वा, 30 रकबा 104 बीघा 16 बिस्वा, 34 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, 41 रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा, 42 रकबा 2 बिस्वा, 464 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा

**जाहरा :–** खसरा नं0 2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 3 रकबा 3 बिस्वा, 4 रकबा 8 बिस्वा, 5 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, 6 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, 7 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा

इस आदेश के विरूद्ध पुनरावेदन पेश होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने दिनांक 25–3–1976 को निर्णय पारित कर अपील खारिज कर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर का आदेश दिनांक 14–3–1975 यथावत रखा। इन आदेशों के विरूद्ध राजस्व मण्डल में अपील होने पर राजस्व मण्डल ने दिनांक 13–7–1976 को आदेश पारित किया कि श्री बलभद्र शरणसिंह की निगरानी इस हद तक स्वीकार की जाती है कि उन्हें 30 स्टे0 एकड़ भूमि जो वह रखना चाहिए का आप्शन पेश करने का अवसर प्रदान किया जावें। आप्शन काश्तकारी कानूनी की धारा 30 बी(2) के द्वितीय परन्तुक के अध्ययधीन होगा। अन्तरिती की ओर से पेश पुनरीक्षण खारिज किया गया है। सामान्य तौर पर उन्हें सुनने का कोई अधिकार नहीं था लेकिन गुणावगुण पर भी हस्तान्तरणों को मान्य नहीं दी जा सकती। मण्डल के निर्णय दिनांक 13–7–1976 के विरूद्ध पुनर्विलोकन (रिवीजन) होने पर मण्डल की एकलपीठ द्वारा दिनांक 17–8–1976 को निर्णय पारित कर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया।

3– मण्डल के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन दायर होने पर माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा 4 सितम्बर, 1986 को रिट याचिका खारिज की गई। याचीगण/प्रार्थीगण द्वारा एकलपीठ के निर्णय के विरूद्ध खण्डपीठ में स्पेशल अपील दायर की गई। माननीय खण्डपीठ द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2006 को एकलपीठ की रिट याचिका को पुनः मैरिट पर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर</u>**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

निर्णय पारित करने का आदेश दिया जिसकी पालना में माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने दिनांक 21 अगस्त, 2006 को निर्णय पारित किया। माननीय एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 21 अगस्त, 2006 में राजस्व मण्डल को निम्न बिन्दुओं पर सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश दिया–

(i) Whether the case could not be decided under the old ceiling law which had been repealed by the new ceiling law ?

(ii) Whether the most of transferred land as above land which was transferred prior to august 18, 1970 and was exempted from being acquired under section 30-J of the old ceiling law ?

(iii) whether the SDO did not have jurisdiction to initiate proccedings under the old ceiling law which stood repealed ?

(iv) whether the board of revenue had no authority to issue circulars directing subordinate authorities initiate proccedings under chapter III-B of old ceiling law.

4– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

5– योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए आगे कथन किया कि प्रश्नगत निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 25–03–1976 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपील को खारिज किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रोपर सुनवाई नहीं हुई, अतः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावें। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में 4 बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये हैं। अतः प्रस्तुत निगरानी/अपील को स्वीकार करके माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन की पालना में पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जावें।

6– योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स ने बहस में तर्क दिये कि उक्त उनवानी अपील सन् 2006 से मण्डल के समक्ष विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण/रेस्पो0 को दिनांक 22–02–1997 में विधिवत् तौर पर गरीब काश्तकार होने के कारण आवंटित की गई थी जिसका नामान्तरकरण स्वीकृत होकर गैर खातेदारी में दर्ज होकर मौके पर प्रार्थीगण/रेस्पो0 काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त उनवानी अपील में प्रार्थीगण/रेस्पो0 को आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत दिनांक 30–04–2018, 07–10–2020 एवं 01–04–2022 के द्वारा पक्षकार बनाने का आदेश प्रदान किया जा चुका है। उक्त उनवानी अपील में अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त हो चुका है

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर</u>**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

एवं अप्रार्थी की तामील होकर प्रकरण बहस हेतु पूर्ण परिपक्व है तथा विपक्षी/अभिभाषक को भी एकपक्षीय बहस हेतु पाबन्द कर रखा है। इसके बावजूद भी उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की न तो सुनवाई हो रही है और ना ही बहस हो रही है जिससे प्रार्थीगण/रेस्पो0 को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण की सुनवाई नियम समय में करवाई जाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

7– प्रत्युत्तर में योग्य उप राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रश्नगत निगरानी/अपील को खारिज किया जावें। अप्रार्थीगण के आवंटन/विक्रय को मान्यता दी जावें तथा तद्नुसार प्रकरण निर्णित किया जावें।

8– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। उपलब्ध रेकार्ड एवं पत्रावली व माननीय एकलपीठ द्वारा दिये गये बिन्दुओं का आधोपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया।

9– माननीय एकलपीठ उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में बिन्दुवार निर्णय निम्न प्रकार है–

(i) Whether the case could not be decided under the old ceiling law which had been repealed by the new ceiling law ?

विचाराधीन प्रकरण में कार्यवाही पुराने सीलिंग कानून के तहत वर्ष 1969 में ही प्रारम्भ हो गई थी जबकि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 नया सीलिंग कानून 1 जनवरी, 1973 से प्रकट हुआ। पुरानी सीलिंग विधि के तहत बनाए गए नियम राजस्थान टिनेन्सी (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैण्ड) (सरकारी) नियम 1963 के नियम 10 में उपखण्ड अधिकारी को नोटिस जारी किये जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 21 के तहत निर्णय पारित किया गया है जो काश्तकारी कानून के अध्याय 3–ख तथा तत्संबंधी बनाए गये नियमों के तहत विधिसम्मत है। यहां तक कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (नये सीलिंग कानून) के अध्याय–ाा जोतों की अधिकतम सीमा का नियतन धारा 4 स्पष्टीकरण में परन्तु जोड़ा गया है जो कहता है कि यदि इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति या कुटुम्ब पर लागू होने वाला अधिकतम सीमा क्षेत्र धारा 40 द्वारा निरसित विधि के उपबन्धों के अनुसार ऐसे व्यक्ति या

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

कुटुम्ब पर लागू होने वाले अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक हो जाता है तो ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति या कुटुम्ब पर लागू होने वाला अधिकतम सीमा क्षेत्र वही होगा जो उक्त निरसित विधि के उपबन्धों के अधीन था।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय बंशीधर और अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य सिविल अपील सं0 2037–2042 सन् 1977 निर्णित दिनांक 29–03–1989 द्वारा संविधान पीठ का सम्मानपूर्वक उद्धरण अंकित किया जाना उचित है– राजस्थान अभिघृति अधिनियम, 1955 अध्याय 3 ख– कार्यवाही का लागू रखना– इस अध्याय के निरसन के बाद भी इस अध्याय के अधीन कार्यवाही उन व्यक्तियों के बारे में चालू रखी जा सकती है और प्रारम्भ की जा सकती है जिन्हें उक्त अध्याय लागू होता था।

अतः स्पष्ट है कि निरसन के बाद भी पुराने अधिनियम के अधीन कार्यवाही जारी रखी जा सकती है व प्रारम्भ की जा सकती है।

(ii) Whether the most of transferred land as grove land which was transferred prior to august 18, 1970 and was exempted from being acquired under section 30-J of the old ceiling law ?

पुरानी सीलिंग विधि की धारा– धारा–30 घघ – कतिपय अन्तरणों को मान्यता का दिया जाना– धारा 30 घ में किसी प्रतिफल बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति के बारे में धारा 30 ग के अधीन अधिकतम सीमा क्षेत्र अवधारित करने के प्रयोजनार्थ (ii) अभिघृति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1970 के प्रारम्भ से पूर्व यथा विद्यमान धारा 30–ञ की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में निर्दिष्ट सरूप के बागों या फार्मो की भूमि जो 1 मई, 1959 से पूर्व अर्जित की गयी हो, के किसी व्यक्ति द्वारा उसके ऐसे पुत्र अथवा माता के पक्ष में, जो खण्ड (i) में उल्लेखित शर्तो को पूरा करता हो और उपर्युक्त सीमा तक 1 जून, 1970 से पूर्व किये गये प्रत्येक अन्तरण को भी मान्यता दी जावेगी।

धारा 30–ञ–धारा 30–झ में अन्तर्निर्दिष्ट कोई बात–

(क)– X X

(ख)– X

(ग)– दक्षतापूर्वक प्रबंधित सहकारी कृषि–फार्मो पर लागू नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसे किसी फार्म या फार्मो में किसी भी सदस्य का अंश उस पर लागू अधिकतम सीमा–क्षेत्र से अधिक न हो,

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

(घ)– X X

(ङ)– X X

(च)– किसी मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्धारा या गौशला द्वारा धारित, उसमें निहित, उससे संलग्न या उसके प्रबंधाधीन भूमि अथवा जोत पर और किसी सार्वजनिक स्वरूप की शैक्षित संस्था द्वारा धारित भूमि पर लागू नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसी भूमि को सम्पूर्ण आय ऐसी संस्था के लिए विनियोजित की जाती हो।

परन्तु इस उप–धारा की कोई बात ऐसे किसी फाम्र में समाविष्ट भूमि पर लागू नहीं होगी जो प्रथम मई, 1959 को या उसके पश्चात् किसी भी प्रकार अर्जित की गई होः

परन्तु यह और कि किसी फार्म पर इस उप–धारा के लागू होने के बारे में किसी विवादित की दशा में, उस पर राज्य सरकार सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

जिससे स्पष्ट है कि दक्षतापूर्वक प्रबंधित सहकारी कृषि–फार्मो पर लागू नहीं होगी, बशर्ते कि ऐसे किसी फार्म या फार्मो में किसी भी सदस्य का अंश उस पर लागू अधिकतम सीमा–क्षेत्र से अधिक न हो।

(iii) whether the SDO did not have jurisdiction to initiate proccedings under the old ceiling law which stood repealed ?

पुरानी सीलिंग विधि के तहत बनाए गए नियम राजस्थान टेनेन्सी (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैण्ड) (सरकारी) नियम 1963 के नियम 10 में उपखण्ड अधिकारी को नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया है।

नियम 21 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा सीलिंग एरिया निर्धारित करने तथा निर्णय पारित करने के बिन्दु अंकित किये गये हैं।

साथ ही जैसाकि बिन्दु सं0 1 में उपर निर्धारित किया गया है कि निरसन के बाद भी पुराने अधिनियम के अधीन कार्यवाही जारी रखी जा सकती है व प्रारम्भ की जा सकती है।

जिससे स्पष्ट है कि पुरानी सीलिंग विधि के निरसन के बाद भी उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी को कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने का अधिकार है।

(iv) whether the board of revenue had no authority to issue circulars directing subordinate authorities initiate proccedings under chapter III-B of old ceiling law.

पुरानी सीलिंग विधि, राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर</u>**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

अध्याय–3(ख) अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने पर निर्बन्धन करता है। इसके तहत बनाये गये राजस्थान अभिघृति (फिक्सेशन ऑफ सीलिंग आन लैण्ड)(सरकारी) नियम, 1963 के नियम 10 में सब डिवीजनल ऑफिसर को नोटिस जारी करने का अधिकार है। नियम 51 अपील में प्रावधान है कि –

appeals from orders passed under these rules shall be governed by the provisions of section 225 of the Act.

धारा 225 में प्रावधान है– आदेशों की अपीलें– (1) इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विर्निदिष्ट स्वरूप के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश की ओर ऐसे अन्य आदेशों की, धारा 212 में और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) की धारा 104 में वर्णित है, अपील

(iii) यदि ऐसा आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो बोर्ड को होगी।

धारा 225(2) में प्रावधान है कि इस धारा के अधीन अपील में पारित किसी भी आदेश की कोई अपील नहीं होगी। अतः धारा 230 के तहत बोर्ड में निगरानी पोषणीय/संधारणीय होगी।

पुरानी सीलिंग विधि के तहत बनाए गए राजस्थान अभिघृति (फिक्सेशन ऑफ सीलिंगआन लैण्ड) (सरकारी) नियम, 1963, राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की धारा 257 में प्रदत्त शक्तियों के तहत बनाये गये हैं। धारा 257 राजस्थान काश्तकारी कानून, 1955 में सरकार की नियम बनाने की शक्ति के प्रावधान है जिसमें अंकित है– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकेगी।

जिससे स्पष्ट है कि काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है।

10– उक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में बिन्दूवार निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् मूल निगरानी के गुणावगुण पर विचार किया जा रहा है।

11– प्रार्थी/निगराकार के मूल निगरानी में मुख्य आधार है कि–

1– प्रार्थी को साक्ष्य पेश करने व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर</u>**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

2– प्रार्थी के परिवार के सदस्यों की संख्या पर सोच विचार नहीं किया गया।

3– विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थी के द्वारा किये गये हस्तान्तरण को बिना ठोस कारण बताये मान्यता नहीं दी गई।

4– विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा बाग (orchard) तथा बाग भूमि (grove land) के बारे में प्रोपर जांच नहीं की गई।

5– प्रार्थी को आप्शन पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया।

अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय खारिज किये जावें।

12– निगरानी के आधारों के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि –

(i) विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसील से प्राप्त तस्दीक के आधार पर इनके परिवार में 5 सदस्य माने गये जबकि प्रार्थी का कथन है कि परिवार के सदस्यों की संख्या 7 है। परिवार के सदस्यों की संख्या 7 न होकर 5 थी। इस बाबत् निर्णय में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं है जबकि परिवार के सम्पूर्ण सदस्यों का नाम मय उम्र लिखते हुए परिवार के सदस्यों की संख्या निश्चित कर उनके द्वारा धारण योग्य भूमि का विनिश्चय कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

(ii) प्रार्थी के द्वारा किये गये प्रत्येक हस्तान्तरण की वैधानिता की जांच कर मान्य/अमान्य किये जाने के कारण अंकित किये जाने चाहिए थे। प्रार्थी द्वारा किये गये हस्तान्तरण तथा पूर्व में अधिग्रहित भूमि का नामान्तरकरण सरकार के हक में खुलने से भूमि राज्य सरकार में निहित होने के कारण किसी भी प्रकार की भूमि आवंटन की कार्यवाही की गई हो तो ऐसे सभी संबंधित पक्षकारों/आवंटियों को भी सुनकर प्रत्येक हस्तान्तरण/आवंटन की वैधानिकता (validity) पर निर्णय पारित करना चाहिए था।

(iii) बाग भूमि (grove land) तथा प्रार्थी/निगराकार द्वारा किसी शैक्षिक संस्था को भूमि दी गई तो धारा 30–(झ), 30(ञ) के तहत जांच कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था।

लेकिन विद्वान सब डिवीजनल ऑफिसर, गंगापुरसिटी द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर</u>**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 14–03–1975 विधिसम्मत न होकर काबिले खारिजी है। विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने भी अपने निर्णय में उक्त तथ्यों को ध्यान में नहीं रखकर निर्णय पारित कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को यथावत् रखा है जो उचित नहीं होकर काबिले खारिजी है।

13– अतः उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी गंगापुर का निर्णय दिनांक 14–03–1975 व राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 25–3–1976 अपास्त किये जाते हैं व प्रकरण इन निर्देशों के साथ विद्वान उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी, गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में उपरोक्त ऑब्जरवेशन को दृष्टिगत रखते हुए सभी पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथ्यों व विधि के अनुरूप पुनः निर्णय पारित करें।

14– सभी पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी, गंगापुर सिटी में दिनांक 12–10–2022 को उपस्थित हो।

15– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( सुरेन्द्र माहेश्वरी )**
**सदस्य**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टी.ए./6257/2006/सवाई माधोपुर**<br>**बलभद्र शरणसिंह बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |